कार्यालय जिला कलक्टर एंव जिला परियोजना समन्वयक(IRGY-Urban) झुंझुनूं– राजस्थान

क्रमांक :– 3511 दिनांकः– 9/6/22

–:विज्ञप्तिः–

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत लागू "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" **(IRGY-Urban)** के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक एस्टे/एम/एफ.10()/आरएमएस(टी)/डीएलबी/2022/3692–4573 दिनांक 31.05.2022 एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार झुंझुनूं जिले की समस्त नगर निकायों यथा नगर परिषद् झुंझुनूं, नगर पालिका मंडावा, बिसाउ, मुकन्दगढ़, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, खेतड़ी, सुरजगढ़, चिड़ावा, पिलानी, विद्याविहार व बगड हेतु निम्नानुसार पदों के लिए संविदा पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिनांक 11.06.2022 से 24.06.2022 समय 05:00 पी.एम. तक आमन्त्रित किये जा सकते हैः–

–: पदो का विवरण :–

क्र. सं.	पद का नाम	मासिक मानेदय	पदों की संख्या (वर्गवार)		कुल पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1	वरिष्ठ तकनिकी सहायक	40000/–	झुंझुनूं–1, उदयपुरवाटी–1 सुरजगढ़–1		3	सिविल अभियान्त्रिकी में स्नातकोतर/स्नातक डिग्री।
2	कनिष्ठ तकनिकी सहायक	30000/–	झुंझुनूं– 2 पिलानी– 1 खेतड़ी– 1 नवलगढ़– 1 चिड़ावा–1 बगड़–1	उदयपुरवाटी–2 बिसाउ–1 मुकन्दगढ़–1 विद्याविहार–1 सुरजगढ़–2 मण्डावा–1	15	सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा
3	लेखा सहायक	25000/–	झुंझुनूं– 1 पिलानी– 1 खेतड़ी– 1 नवलगढ़– 1 चिड़ावा–1 बगड़–1	उदयपुरवाटी–1 बिसाउ–1 मुकन्दगढ़–1 विद्याविहार–0 सुरजगढ़–1 मण्डावा–1	11	बी.कॉम/सी.ए. इन्टरमिडियेट(आई.पी.सी.)/ ICWA (इन्टर)/कम्पनी सेक्रेटरी(इन्टर)
4	MIS मैनेजर	25000/–	झुंझुनूं– 1 पिलानी– 1 खेतड़ी– 1 नवलगढ़– 1 चिड़ावा–1 बगड़–1	उदयपुरवाटी–1 बिसाउ–1 मुकन्दगढ़–1 विद्याविहार–1 सुरजगढ़–1 मण्डावा–1	12	BCA
5	शहरी रोजगार सहायक	15000/–	झुंझुनूं– 4 पिलानी– 2 खेतड़ी– 1 नवलगढ़– 1 चिड़ावा–1 बगड़–1	उदयपुरवाटी–2 बिसाउ–1 मुकन्दगढ़–1 विद्याविहार–2 सुरजगढ़–2 मण्डावा–1	19	स्नातक + RSCIT कोर्स उतीर्ण

शर्तेः–

1. संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट के आधार पर होगी इसके लिए साक्षात्कार हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
2. संविदा अभ्यर्थीयों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्ताकों के आधार पर मैरिट तैयार की जावेगी।
3. कनिष्ठ तकनिकी सहायक पद हेतु 80 प्रतिशत पद डिग्रीधारियों तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमा धारियों से भरे जावेगें।
4. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 31.03.2023 तक प्रभावी रहेगी।
5. एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही निकाय में संविदा अनुबंध किया जावेगा अन्यथा सभी संविदा अनुबध निरस्त कर दिये जायेगें (इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्य है) चयनित अभ्यर्थी का पदस्थापन उपरोक्तानुसार जिला झुंझुनूं की किसी भी नगरपरिषद्/पालिका में जरिये लॉटरी से किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी स्थान विशेष पर पद स्थापन की मांग नहीं कर सकेगा। लॉटरी द्वारा आवंटित स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं करने पर 03 दिवस पश्चात आरक्षित सूची (वेटिगं लिस्ट) से अभ्यर्थी को संविदा पर नियुक्ति दी जावेगी।
6. शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु स्नातक + RSCIT के प्राप्ताकों के आधार पर की जावेगी परन्तु मैरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्ताक के आधार पर ही किया जावेगा। RSCIT हेतु मेरिट में कोई प्रावधान नहीं है।
7. संविदा भर्ती में आवेदन पूर्णतयः निःशुल्क है, फार्म नगरपरिषद् झुंझुनूं, नगरपालिका मंडावा, बिसाउ, मुकन्दगढ़, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, खेतड़ी, सुरजगढ़, चिड़ावा, पिलानी, विद्याविहार व बगड़ कार्यालयों में स्थापित इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हेल्प डेस्क (काउन्टर) से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
8. संविदा भर्ती के पदों का आरक्षण राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 के आधार पर निर्धारित होगा।

9. आयु – न्यूनतम आयु 21 वर्ष एंव अधिकतम आयु 40 वर्ष (दिनांक 01.06.2022 तक) एवं कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2022 के अनुसार वर्ग की पात्रता अनुसार छूट देय हागी।
10. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधि प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। आरक्षण हेतु सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें। आयु का निर्धारण 10वीं कक्षा की अंकतालिका/जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। चरित्र प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह/संतान सम्बंधि प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज जो भी आवश्यक हो आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकते है तथा संविदा नियुक्ति के समय दस्तावेजों की मूल प्रतियां लानी आवश्यक होगी अन्यथा संविदा नियुक्ति नहीं दी जावेगी।
11. आवेदन की सभी प्रविष्टियां पूर्ण होनी आवश्यक है तथा तदानुसार सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित फोटों प्रतियां सलंग्न होने आवश्यक है, अपूर्ण आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
12. संविदा कार्मिकों की नियुक्ति के लिए अनुबंध संबंधित आंवटित नगरपरिषद् /नगरपालिका द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
13. संविदा कार्मिक की सेंवाऐं संतोषप्रद नहीं होने पर संविदा से पृथक किया जा सकेगा।
14. अभ्यर्थी राजस्थान में किसी भी योजना से अनियमित/गबन/पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोंपों में ब्लेकलिस्टेड, संविदा पृथक किये गये अभ्यर्थी आवेदन के योग्य नहीं माने जावेगें। चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध के साथ इस आश्य का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
15. किसी भी तरह का विवाद होने पर जिला परियोजना समन्वय समिति, झुंझुनूं का निर्णय मान्य होगा।
16. उक्त संविदा अनुबंध व शर्ते कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या F.1(4)DOP/A-2/2014 Jaipur दिनांक 11.01.2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्यतः/पूर्णरूपेण लागू रहेगी। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त अधिसूचना कार्मिक विभाग की साईट पर उपलब्ध है।
17. इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन मय प्रमाणित शैक्षिणक/अनुभव/जाति प्रमाणपत्र के दस्तावेजों सहित दिनांक 24.06.2022 को सांय 5.00 बजे तक कार्यालय समय में कार्यालय नगर परिषद झुन्झुनूं के कक्ष संख्या 03 में श्री रतन लाल वर्मा वरिष्ठ सहायक को व्यक्तिशः अथवा ई–मेल MCJHUNJHUNU.LSG@RAJASTHAN.GOV.IN पर भिजवा सकते है। विज्ञाप्ति से संबंधित अन्य सूचनाऐं/निर्देश जिला वेब साईट www.jhunjhunu.rajasthan.gov.in अथवा कार्यालय समय में नगर परिषद झुन्झुनूं में प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेजों की स्वःप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जावें।

(लक्ष्मण सिंह कुड़ी)
(जिला परियोजना समन्वयक)
जिला कलक्टर, झुन्झुनू

क्रमांक :– 3512–16
दिनांकः– 9/6/22

प्रतिलिपिः–
1. श्रीमान उपनिदेशक (ए.सी.पी.) सूचना प्राधौगिकी एवम् संचार विभाग, झुंझुनूं को प्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त विज्ञप्ति एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जो संलग्न है, को जिला झुंझुनूं की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
2. अधिशाषी अधिकारी समस्त जिला झुन्झुनूं।
3. नोटिस बोर्ड, नगर परिषद कार्यालय/जिला कलेक्टर कार्यालय/उपखण्ड अधिकारी कार्यालय/जिला परिषद कार्यालय/जिला नियोजन कार्यालय झुन्झुनूं चस्पा करते हुए सर्वसाधरण को वास्ते सूचनार्थ।
4. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति की सूचना को क्रमशः (1) राज्य स्तरीय संस्करण के दो समाचार पत्रों में, (2) राजस्थान पत्रिका, जिला झुन्झुनूं संस्करण के समाचार पत्र में (3) दैनिक भास्कर, जिला झुन्झुनूं संस्करण के समाचार पत्र में स्वीकृत डीपीआर/डी ए वी पी दर पर न्यूनतम साईज में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें जिसमे प्रकाशित विज्ञप्ति की सूचना के समस्त समाचार पत्रों मय विपत्र (दो प्रतियों में) नियमानुसार भुगतान संबंधी अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें। साथ ही प्रकाशित विज्ञप्ति की सूचना के समस्त समाचार पत्रों की सूचना इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी. jhunjhunu.jaipur@gmail.com पर भी भिजवाने का श्रम करावें।
5. सुरक्षित पत्रावली।

(शैलेश खैरवा)
RAS
आयुक्त नगरपरिषद् झुंझुनूं एवं सदस्य सचिव
जिला परियोजना समन्वयक समिति(IRGY-Urban) झुंझुनूं